

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद

आदेश क्रमांक ~~सी०१४४४४४४~~ जी-1-2002/1107-10 दिनांक : 09-04-2002

विषय: - माध्यमिक स्तरीय स्थाई मान्यता ।

वी० के० इन्टरनेशनल स्कूल लिमिटेड,

फरीदाबाद - ते कठीने आठवीं कक्षा । मिडिल विभाग । तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. तंतुया शिक्षा विभाग हरियाणा ते क्ति भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नही करेगी। तथा अपने ही खर्चे पर स्कूल चलायेगी।
2. भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में सभी अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखा जायेगा।
3. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के छ मास के बराबर की राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम पलक करायेगे। यदि राशि पलक ना कराई तो मान्यता रद्द जायेगी।
4. वेतन का भुगतान के बैंक द्वारा किया जाये।
5. सभी अध्यापकों की सीपी. एफ. की राशि स्थानिय बैंक में जमा कराई जाये।
6. तंतुया की धारा 214-219 के अन्तर्गत तमिस्सूक्ष्म कोड शर्तों को पूरा करना होगा। यदि क्तिभी समय निरीक्षण के दौरान क्ति भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
7. सी. डब्ल्यू एफ. रेडग्रान्त तथा स्पोर्ट्स फंड की राशि का शेषर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा।
8. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य को क्ति भी समय चेक कर सकता है।
9. सज्ज्म कोड की धारा 159 के अन्तर्गत भवन इत्यादि नाम अनुसार पूर्ण करानी होगी।

HARBANS LAH

जिला शिक्षा अधिकारी  
फरीदाबाद।

पृष्ठ क्रमांक :                      सम                      दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक तैकड़ी शिक्षा हरियाणा । चण्डीगढ ।
2. उप मंडल शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद ।
3. तम्वनित विद्यालय का मुखिया ।

रक्षणी 0 स्त. 50 भिवानी

MANAGER

*(Signature)*  
Principal

*(Signature)*  
जिला शिक्षा अधिकारी  
फरीदाबाद।

V.K. INTERNATIONAL SCHOOL  
Tilpal, Faridabad